भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1768
11 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

देश की रक्षा संबंधी विषयवस्तु वाली फिल्मों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र

1768. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की रक्षा संबंधी विषयवस्तु वाली फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म निर्माताओं द्वारा मंत्रालय से कितने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगे गए हैं;

(ख) इनमें स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित एनओसी की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के जीवन पर बनी फिल्म के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय यह मानता है कि देश की रक्षा से संबंधित विषयवस्तु के प्रदर्शन की अनुमोदन प्रक्रिया एक स्वेच्छाचारी भेदभाव है जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय मानता है कि इस आशय की फिल्मों और वृत्तचित्रों की अनुमोदन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश की रक्षा संबंधी विषयवस्तु पर आधारित फिल्मों के लिए फिल्म निर्माताओं को एनओसी जारी करने का क्या औचित्य है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): 1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक भारतीय सेना द्वारा फिल्म निर्माताओं/ प्रोड्यूसरों से रक्षा संबंधी विषयवस्तु पर आधारित फिल्मों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों की स्थिति निम्नवत है :

अनापत्ति प्रमाण-पत्र का विवरण	फीचर फिल्म	वृत्तचित्र/टीवी धारावाहिक	कुल
स्वीकृत	09	07	16
अस्वीकृत	01	0	01
लंबित	01	0	01
कुल	11	07	18

पिछले दस वर्षों के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु 01 प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो लंबित है ।

भारतीय वायुसेना को पिछले तीन वर्षों के दौरान एनओसी के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

2019	2020	2021
05	02	06

भारतीय वायुसेना द्वारा कोई भी प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया गया है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय से 02 और एनओसी मांगी गई थी जिन्हें स्वीकृत कर दिया गया ।

(ग): जी, हां । एनओसी को अस्वीकृत किए जाने का कारण कश्मीर में कार्यरत एक सैनिक और एक स्थानीय लड़के के बीच का रोमानी संबंध दर्शाया जाना है जो भारतीय सेना की खराब छवि प्रस्तुत करता है और सुरक्षा संबंधी मामलों को उठाता है ।

(घ): जी, नहीं । अनुमोदन प्रक्रिया मनमानी/भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है । प्रत्येक मामले पर राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की रक्षा, देश/विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति, सशस्त्र सेनाओं में अनुशासन बनाए रखने, सैन्य सेवा के लोकाचार/परंपराओं एवं नागरिकों की सामान्य भावनाओं तथा भारत के नागरिकों/जनसामान्य के मन में सशस्त्र सेनाओं की छवि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है ।

(ङ) : अनुमोदन प्रकिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत प्रत्याभूत की गई वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती है । वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन उपयुक्त प्रतिबंधों के भी अध्यधीन होती है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने, राष्ट्र की सुरक्षा करने, दूसरों राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, मर्यादा अथवा नैतिकता अथवा अपराध के लिए उकसाने इत्यादि के लिए अपेक्षित हो सकते हैं ।

(च): फिल्म निर्माताओं/प्रोड्यूसरों को रक्षा संबंधी विषयवस्तु पर आधारित फिल्मों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना होता है कि सशस्त्र सेनाओं को उस रूप में चित्रित नहीं किया जाए जिससे सशस्त्र सेनाओं/सरकार/देश की अपकीर्ति हो, साथ ही तथ्यात्मक यथार्थता को भी सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी वर्गीकृत मामले को ओपन डोमैन में नहीं दर्शाया जाए जिससे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़े ।

***